न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 19/2019

सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

राजेन्द्र कुमार पुत्र खेता राम जाति कुम्हार साकिन वार्ड न0 15 पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: उपस्थित अधिवक्ता ::–

1. श्री पैरोकार राज वादी
2. श्री प्रतिवादी संख्या 1 एक पक्षीय दिनांक 18.08.2020

– :: निर्णय ::–

दिनांक : 10.11.2020

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी के नाम चक 9 जैड के खाता संख्या 73 के मु. नं. 04 के किला न. 9/0.253 10/0.253 हैक. कुल 0.506 हैक. एवं खाता सख्या 07 के मु0 न0 4 के किला न 3/0.253, 4/1 =0.127 , 8/0.253 कुल 0.633 इस प्रकार यथा कुल 1.139 हैक. नहरी खातेदार के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है (जमाबन्दी का प्रति संलग्न है)। उक्त खातेदारी भूमि में से चक 9 जैड के खाता संख्या 73 के मु. नं. 04 के किला न. 9/0.253 10/0.253 हैक. कुल 0.506 हैक. एवं खाता सख्या 07 के मु0 न0 4 के किला न 3/0.253, 4/1 =0.127 , 8/0.253 कुल 0.633 इस प्रकार यथा कुल 1.139 हैक. नहरी का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर कलोनी का संचालन कर अकृषि कार्य में किया जा रहा है। उक्त अराजी काबिले–काश्त है केवल मात्र कृषि कार्य के लिए दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन कराये / स्वीकति प्राप्त किये मौके पर प्लॉट काट कर कलोनी के रूप मे मकान बनाकर अकृषि कार्य मे उपयोग किया जा रहा है, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि कार्य में उपयोग लेना गैर कानूनी है। चक 9 जैड के खाता संख्या 73 के मु. नं. 04 के किला न. 9/0.253 10/0.253 हैक. कुल 0.506 हैक. एवं खाता सख्या 07 के मु0 न0 4 के किला न 3/0.253, 4/1 =0.127 , 8/0.253 कुल 0.633 इस प्रकार यथा कुल 1.139 हैक. नहरी, खातेदार रकबा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 9 जैड के अनुसार बिना स्वीकृति/संपरिर्वतन कराये अकृषि उपयोग से किया जा रहा है रिपोर्ट पटवारी हल्का संलग्न है। दावा राज हित में है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

इसलिए कोर्टफीस देय नहीं है। रकबा राजहित मे सिवाय चक घोषित किया जावे। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी को जारी नोटिस पर विधिवत तामील होने पर प्रतिवादी के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध दिनांक 18.08.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वाद में प्रतिवाद नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं कर वाद के समर्थन में पैरोकार राज द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया।

राज पैराकार की बहस सुनी गई दौराने बहस पैरोकार राज द्वारा वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी स्वीकार किये जानें हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकर पाया कि विवादास्पद भूमि पर कृषि जोत का कार्य नहीं होकर अकृषि उपयोग कार्य हो रहा है। बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिये मौके पर प्लाट काटकर मकान बनाना आदि का कार्य गैरकृषि कार्य की श्रेणी में आता है। प्रतिवादी द्वारा खातेदारी शर्तो का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। अतः वादी वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 9 जैड के खाता संख्या 73 के मु. नं. 04 के किला न. 9/0.253, 10/0.253 हैक. कुल 0.506 हैक. एवं खाता सख्या 07 के मु0 न0 4 के किला न 3/0.253, 4/1 =0.127, 8/0.253 कुल 0.633 हैक. इस प्रकार यथा कुल 1.139 हैक. नहरी कृषि भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की जाती है।

अतः उक्त अधिग्रहणशुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 10.11.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner